

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शिवपुरी**

क्रमांक/स्थापना/प्रा.शि.(दिव्यांग) नियु./2025-26/7105 शिवपुरी, दिनांक 02/10/2028
//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय-समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को दिव्यांगता परीक्षण में पात्र पाए जाने पर मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त कर उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है-

S.N	ROLL	RANK	NAME AND F/H NAME	ADDRESS	CATE GORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	Block
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3402250642 269	7858	VIKENDRA RAWAT F/H NAME- KALYAN SINGH	12 GRAM SESAI SADAK POST SESAI KOLARAS	OBC	OBC/LD/OP	DISE- 23060201704 GMS SASAI SADAK	Kolaras Distt. Shivpuri
2	3403250701 369	11071	MANISH JATAV F/H NAME- BADAL SINGH JATAV	0 GRAM CHIROULA CHIROULA TEH SHADOURA	SC	SC/LD/OP	DISE- 23060306502 GPS Harijan Colony Bharatpur Lalpur	Badarwas Distt. Shivpuri
3	3402250741 235	12104	ABHAY SINGH F/H NAME- PRITAM SINGH	0000 VILL POST SULTAN SINGH KA PURA BARAKHURD BHIND BHIND	UR	UR/LD/OP	DISE- 23060131003 GPS ADIWASI BASTI BHANGAD	Shivpuri Distt. Shivpuri
4	3402250660 482	12265	MAHIMA TIWARI F/H NAME- YASHWANT	00 CHOTE JAIN MANDIR KE PASS BAJRANGARH GUNA	UR	UR/LD/OP	DISE- 23060300802 GMS DAGPEEPARI	Badarwas Distt. Shivpuri
5	3402250709 859	12674	VISHAKHA RAWAT F/H NAME- GAJRAJ RAWAT	125 GRAM KHITARPAL POST BANGROD TEHSIL VIJAYPUR	OBC	OBC/LD/OP	DISE- 23060622401 GPS LOHPITA KALAMAD	Pohari Distt. Shivpuri
6	3402250729 585	13283	NOOPUR PATHAK F/H NAME- RAJENDRA KUMAR PATHAK	25 CHANDNI CHOWK PICHHORE PICHHORE SHIVPURI	EWS	EWS/LD/OP	DISE- 23060900129 GMS PICHHORE No. 1	Pichhore Distt. Shivpuri
7	3403250703 067	16670	UDAYRAJ MEENA F/H NAME- RANVEER MEENA	VILLAGE DORD POST DORD TEHSIL VIJAYPUR VIJAYPUR	OBC	GF/OBC/LD/ OP	DISE- 23060609904 PMSHri-GMS KAKRAUA	Pohari Distt. Shivpuri

S.N	ROLL	RANK	NAME AND F/H NAME	ADDRESS	CATE GORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	Block
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	3402250720 713	19127	SHYAM BIHARI F/H NAME- PURUSHOTTAM	VILL, CHANDOKHAR POST CHANDOKHAR TEHSIL GOHAD GOHAD	OBC	GF/OBC/LD/ OP	DISE- 23060117801 GPS MOHANGAD	Shivpuri Distt. Shivpuri
9	3402250650 222	26208	ARVIND SHARMA F/H NAME- HARI MOHAN SHARMA	NA VILLAGE GADHI POST SUKHAPATHA TEHSIL DABRA	UR	GF/UR/LD/ OP	DISE- 23060800205 GMS HATEDA	Narwar Distt. Shivpuri
10	3403250653 304	26560	ITRAJ KUSHWAH F/H NAME- PHOOL SINGH KUSHWAH	45 KHASARAM KA PURA BANMORE BANMORE	OBC	GF/OBC/LD/ OP	DISE- 23060122105 GMS KARSENA	Shivpuri Distt. Shivpuri
11	3402250720 581	26875	HARIKISHNA KUMAR LODHI F/H NAME- SUKHVEER LODHI	234 VILLAGE KAMALPUR PICHHORE PICHHORE	OBC	GF/OBC/LD/ OP	DISE- 23060512801 GPS GARETHA	Khaniyadha na Distt. Shivpuri
12	3402250728 269	29596	AYUSH SHIVHARE F/H NAME- OMPRAKASH SHIVHARE	19 VIJAYPUR WORD 5 NAI BASTI GOHTA MARG VI VIJAYPUR	OBC	OBC/VH/OP	DISE- 23060609902 GPS GIRLS KAKRAUA	Pohari Distt. Shivpuri
13	3402250676 200	34148	GOVIND MANGAL F/H NAME- TEEKAM CHAND	01 PURANI SABJI MANDI ADALAT ROAD SABALGAH SABALGARH	UR	UR/VH/OP	DISE- 23060609501 GPS BUDDA	Pohari Distt. Shivpuri
14	3412250679 305	37048	VIJAY PRAJAPATI F/H NAME- MATHURA LAL	NA KUMHAR MOHALLA BAJRANGARH GUNA	OBC	OBC/VH/OP	DISE- 23060302402 GMS BAKASPUR	Badarwas Distt. Shivpuri
15	3403250662 822	39331	SANJU RAWAT F/H NAME- RAMNATH RAWAT	VILLAGE GONDOLI HAR POST JAWBROL TEHSIL SABALGARH	OBC	GF/OBC/VH /OP	DISE- 23060610102 GMS BANBARIPURA	Pohari Distt. Shivpuri

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छट्वां वेतनमान 5200-20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीक्षा पर की जाती है। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। परीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 14 अक्टूबर 2026 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से किया जायेगा। दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

- I. नियुक्ति आदेश
- II. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)
- IV. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
- V. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
- VII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
- VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी दस्तावेज।
- X. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।
- XI. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का C प्रमाणपत्र
- XII. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
- XIII. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट- 1)
- XIV. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट- 2)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजों के इस कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को जिला पारस्परिक परिवर्तन के लिए दिए गए विकल्प के कारण पूर्व में जारी जिला आवंटन आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना

जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

विशेष टीप:- यदि चरित्र /जाति/निःशक्ता/शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता/शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

02/10/26
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शिवपुरी

पृ.क्रमांक/स्थापना/प्रा.शि.(दिव्यांग)नियु./2025-26/7106 शिवपुरी, दिनांक 02/10/2026

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
5. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ।
6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
7. संभागायुक्त ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
8. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
9. कलेक्टर जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला शिवपुरी म.प्र. ।
11. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित संकुल प्राचार्य, शास.उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला शिवपुरी, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित प्रधानाध्यापक मा.वि./प्रा.वि..... जिला शिवपुरी, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
14. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 14 अक्टूबर 2026 तक अपनी उपस्थिति देवें।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शिवपुरी